

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-20082020-221242
SG-DL-E-20082020-221242

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2020/श्रावण 28, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 105
No. 04]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2020/SHRAVANA 28, 1942	[N. C. T. D. No. 105

भाग III
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अगस्त, 2020

सं. आईपीयू/जेआर(सी) ओर्डि. 17/बोओएम 66/2020/102.—गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 के 9) की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसरण में, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल ने दिनांक 06 अगस्त 2018 को आयोजित 66 वीं बैठक में कार्यसूची मद सं. बीएम 66•12 के द्वारा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015" के अंगीकरण को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, अध्यादेश सं. 17 में विद्यमान प्रावधानों को "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण,

निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015" समय-समय पर यथा संशोधनानुसार, के प्रावधानों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है ।

आदेशानुसार

रवि दाधीच, कुल सचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Delhi, the 17th August, 2020

No. IPU/JR(C)/Ord.17/BOM66/2020/102.—In pursuance of the provisions of Section 27 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998 (9 of 1998), the Board of Management of Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 66th meeting held on 06th August 2018 *vide* agenda item BM 66.12 has approved the adoption of the "University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015. Accordingly, the existing provision of Ordinance No. 17 is substituted by the provisions of the "University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015 as amended from time to time.

By Order,

RAVI DADHICH, Registrar